कार्यालय उप क्षेत्रीय निदेशक

दूरभाष-626681

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ई-93, ब्रिज विहार, गाजियाबाद-201011

संख्या का /नव व्याप्ति 21-P-11-19-21-21608-62/96 दिनांक 18-7-96

सेवा में,

M/S REYNOLD INDIA (P) LTD.
C-36, Sector-2 Noida

विषय:- क0 रा0 बीमा अधिनियम, 1948 का लागू किया जाना - क0 रा0 बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1 (5) के अन्तर्गत कर्मचारियों तथा स्थापनाओं का पंजीकरण।

प्रिय महोदय,

नियोजक कूट (कोड०) सं० 21-21608-62

1. मुझे सूचित करना है कि क0रा0 बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के उपबंधों की अधिसूचना संख्या M-38013-18-82-H.I. दिनांक 30-5-82 द्वारा अधिनियम की व्याप्ति के अन्तर्गत ...Noida..... क्षेत्र में आने वाले समस्त कारखानों / स्थापनाओं पर लागू कर दिया है।

2. मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिसूचना संख्या ......As above.... दिनांक........... (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिनांक .... से क0 रा0 बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों का विस्तार अन्य स्थापनाओं तक कर दिया है।

1165
6/8/96

3. अधिनियम की धारा 2-क के अन्तर्गत ऐसे कारखानों / स्थापनाओं के लिए अपना पंजीकरण कराना अधिनियमानुसार आवश्यक है तथा अधिनियम का अध्याय 4 ऐसे कारखानों / स्थापनाओं के प्रति नियोजक पर यह उत्तरदायित्व डालता है कि वे अपने कर्मचारियों को पंजीकृत करें तथा अधिनियम की व्याप्ति के अन्तर्गत लाए गए कर्मचारियों से सम्बन्धित अभिदाओं की अदायगी करें।

4. आपके कारखाना / स्थापना के बारे में आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए 01 फार्म ब्यौरों के आधार पर बीमा निरीक्षक स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक द्वारा दिनांक 27-6-96 को किए गए आपके निरीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार आपका कारखाना / स्थापना दिनांक 27-6-96 Prov. से अधिनियम की धारा 2 (12) / 1 (5) की व्याप्ति सीमा के अन्दर आता है फिर भी यदि परवर्ती तथ्य यह प्रकट करते हैं कि आपका कारखाना / स्थापना ऊपर उल्लेख की गई तारीख के पहले की किसी तारीख से व्याप्ति के योग्य था/थी तो आप ऐसी पहले की तारीख से अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए स्वयं को उत्तरदाई समझें।

Scanned by CamScanner

आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अधिनियम के अन्तर्गत आपके का[...] स्थापना की व्याप्ति की तारीख से घोषणा प्रपत्रों (फार्मों) में भर कर अपने क[...] के पंजीकरण अभिदाय कार्डों की तैयारी तथा अभिदायों की अदायगी अभिलेखों[...] रखाव आदि के लिए तत्काल कदम उठा ।

सुविधा के वास्ते आपके स्थापना की कूट संख्या 21-21608-62 .... आ[...] कर दी गई है जिसका प्रयोग इस कार्यालय के साथ किए जाने वाले समस्त पत्राचार[...] प्रयोजनों हेतु निर्दिष्ट स्थानों में करें Noida .... में स्थित नि[...] स्थानीय कार्यालयों को यह अनुदेश दें दिया गया है कि वह आपके कर्मचारियों, के[...] पंजीकरण के सम्बंधों में आपको आवश्यक सहयोग प्रदान करें । यदि आपको कोई क[...] अनुभव हो अथवा योजना के सम्बंध में आवश्यक किसी अन्य प्रयोजनों के सिलसिले में[...] कठिनाई हो तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त स्थानीय कार्यालय[...] से सम्पर्क करें जो कि आपको मामले में आवश्यक सभी मदद प्रदान करेगा ।

यह अनुरोध किया जाता है कि आप कृपया अपनी स्थापना के कर्मचारि[...] जानकारी हेतु बीमा चिकित्सा कर्ताओं तथा राज्य बीमा औषधालयों की सूचियां[...] रूप से प्रचारित करें ताकि आपके कर्मचारियों को अपने राज्य बीमा चिकित्सालयों/[...] चिकित्सा कर्ताओं को चुनने में सुविधा हो । कृपया ऊपर बताए गए स्थानीय कार्या[...] जिससे समस्त कर्मचारी भी सम्बंधित होंगें, से अपेक्षित प्रपत्र (फार्मों) एवं अभि[...] कार्ड आदि एकत्र कर लें ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आपके कर्तव्यों एवं[...] के निर्वाह में निगम के कर्मचारी आपको समस्त आवश्यक एवं सम्भव सहयोग प्रदान[...] प्रसन्नता अनुभव करेगें और मैं आपकी ओर से इस बारे में आश्वस्त हूँ कि आप क0[...] बीमा अधिनियम एवं विनियमों का मुस्तैदी एवं समय से अनुपालन करेगें ।

कृपया क0 रा0 बीमा अंशदान SBI Noida .... में जमा क[...]

संलग्न ।–

भवदीय

(एस0 के0 सक्सेना)
प्रभारी उपक्षेत्रीय निदेशक
एस० के० सक्सेना
प्रभारी उप-क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्धक स्थानीय कार्यालय
2. बीमा निरीक्षक अस्थाई व्याप्ति को स्थाई तिथि नियत कर
3. नव व्याप्ति शाखा
4. निरीक्षण शाखा–III।
5. ई. सी. सेवा
6. लेजर सेल

Scanned by CamScanner